न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष संख्या–1, बरेली।

अवनेश कुमार बनाम रमेश चन्द्र आदि

परिवाद सं0–1508/2019
धारा–323, 504 व 506 भा0दं0सं0
थाना–भुता, बरेली।

<u>दिनांक 22.07.2019</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण रमेशचन्द्र, शान्ति देवी, पूनम एवं प्रदीप कुमार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण बेकसूर हैं एवं उन्हें गलत तरीके से झूंठा फंसाया गया है वे पूर्णतया निर्दोष हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अपराध जमानती है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने याचना की गयी हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्तगण रमेशचन्द्र, शान्ति देवी, पूनम एवं प्रदीप कुमार, अभियुक्त रमेशचन्द्र का परिवार हैं। मामला परिवाद पर आधारित है। आरोपित अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण रमेशचन्द्र, शान्ति देवी, पूनम एवं प्रदीप कुमार द्वारा पन्द्रह हजार रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के एक–एक जमानती प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
अपर सिविल जज (सी0डि0),
कक्ष संख्या–1, बरेली।